प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: **माननीय न्यायमूर्तिगण श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**
माननीय न्यायमूर्तिगण श्री राधे श्याम शर्मा,

दाण्डिक अपील संख्या 26/1994

मोहम्मद इकबाल

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

(वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

(विचारार्थ)

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्तिगण श्री राधे श्याम शर्मा

मै सहमत हूँ |

सही/-

आर.एस.शर्मा,

न्यायाधीश

(दिनांक 18/07/2011 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें)

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: **माननीय न्यायमूर्तिगण श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**
माननीय न्यायमूर्तिगण श्री राधे श्याम शर्मा,

दाण्डिक अपील संख्या 26/1994

अपीलार्थी मोहम्मद इकबाल, पिता शेख रमजान खान, आयु 30 वर्ष, निवासी ग्राम-बाज़ार पारा, पटना, थाना पटना, जिला सरगुजा, मध्यप्रदेश (वर्तमान में जिला-कोरिया (छ.ग.))

बनाम

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य), द्वारा थाना पटना, जिला सरगुजा, मध्यप्रदेश (वर्तमान में जिला-कोरिया (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री एन.के.मेहता एवं श्री मनोज मिश्रा अधिवक्ता|

राज्य की ओर से : श्री रविन्द्र अग्रवाल, शासकीय अधिवक्ता |

शिकायतकर्ता की ओर से : श्री वैभव गोवेर्धन, अधिवक्ता |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 18.07.2011 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा, द्वारा पारित किया गया -

(1) यह अपील 4 जनवरी, 1994 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैकुंठपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 189/88 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित आदेश द्वारा, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 324 के तहत दोष सिद्ध किया गया और आजीवन कारावास तथा 3 वर्ष के कठोर कारावास का दण्डादेश दिया, साथ ही यह निर्देश दिया गया कि दोनों दण्डादेश साथ-साथ चलेंगी।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

मृतक खेमचंद अपीलार्थी का किरायेदार था। वह अपने किराए के परिसर में अपने परिवार के सदस्यों अर्थात रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1), मूलचंद (अ.सा.-5) और भूपेंद्र कुमार अग्रवाल (अ.सा.-2) के साथ पिछले 10 वर्षों से निवास कर रहा था। मृतक परिसर के अगले भाग में एक किराना दुकान चलाता था और पिछले भाग का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाता था। रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) और मूलचंद (अ.सा.-5) मृतक के सगे भाई हैं। भूपेंद्र कुमार अग्रवाल (अ.सा.-2) मृतक का पुत्र है। अपीलार्थी और मृतक के बीच परिसर खाली करने को लेकर विवाद चल रहा था। अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि दिनांक 27.12.1987 को लगभग सुबह 10.00 बजे, अपीलार्थी संपतलाल शर्मा (अ.सा.-12), हिमकल्याण (अ.सा.-6) और टेकेश्वर शर्मा (अ.सा.-13) के साथ परिसर के पिछले भाग में गया जहां उसकी मुलाकात मृतक खेमचंद से हुई। उसने मृतक से पूछा कि उन्होंने दुकान से तिजोरी क्यों बाहर फेंक दी? मृतक ने उत्तर दिया कि उसे तो बहुत दिनों से

वहीं (घर के पिछले हिस्से में) रखा हुआ था। इस बात पर अपीलार्थी और मृतक के बीच विवाद शुरू हो गई और दोनों दुकान के अंदर चले गए। आरोप है कि अपीलार्थी ने अपनी कमर से चाकू निकाला और मृतक को चाकू मारा और उसने रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) को भी चाकू मारा। अपीलार्थी ने रोहिणी प्रसाद का पीछा किया, लेकिन उसे संपतलाल शर्मा (अ.सा.-12) ने पकड़ लिया। मृतक-खेमचंद थाना जाने के लिए सायकल लेकर चला, लेकिन रास्ते में गिर गया और बेहोश हो गया। रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1), मूलचंद (अ.सा.-5) और संपतलाल शर्मा (अ.सा.-12) ने मृतक को डॉ. पी.सी. कुंडू (अ.सा.-16) के क्लीनिक ले गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद उसे बैकुंठपुर अस्पताल ले जाया गया। रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) ने पटना थाना में शिकायत दर्ज कराया, जिस पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन **प्रदर्श-पी/1** भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत पंजीकृत की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतक की जीवित अवस्था में डॉ. वी.के. गुप्ता (अ.सा.-15) द्वारा परीक्षण की गई, जिन्होंने दायीं छाती के ठीक नीचे 4 से.मी. का एक कटा हुआ घाव पाया जिसमे टांके लगाए गए थे लेकिन खून बह रहा था। उन्होंने दाहिने हथेली पर 1 से.मी. x 1 से.मी. का एक छोटा सा घर्षण भी देखा। मेडिको लीगल रिपोर्ट **प्रदर्श-पी/16** है। रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) की भी उसी दिन परीक्षण किया गया और उसके अंडकोष के दाहिने हिस्से पर 1 से.मी. x 1 से.मी. का एक घर्षण था, जिस पर थक्का बना हुआ खून मौजूद था। यह एक साधारण चोट थी जो तेज धार वाले हथियार से हुई बतायी गयी। उसका मेडिको लीगल रिपोर्ट **प्रदर्श-पी/17** है। मृतक की अस्पताल में इलाज के दौरान उसी दिन मृत्यु हो गई। डॉ. वी.के. गुप्ता (अ.सा.-15) द्वारा मृतक का शव परीक्षण भी किया गया। आंतरिक परीक्षण में उन्होंने पाया कि पेट पर उपरोक्त चोट गहरी होकर दायीं किडनी तक पहुंच गई थी जिस पर कट लगा था। उन्होंने राय दी कि मृत्यु का कारण उपरोक्त चोट के

परिणामस्वरूप आया सदमा था और मृतक के मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। शव परीक्षण प्रतिवेदन **प्रदर्श-पी/18** है। अपीलार्थी- मोहम्मद इकबाल की भी डॉ. वी.के. गुप्ता (अ.सा.-15) द्वारा दिनांक 27.12.1987 को परीक्षण की गई। उन्होंने उसकी दायीं जांघ के पिछले हिस्से पर 3 से.मी. x 1 से.मी. x 1 से.मी. की कटी हुई चोट देखी और राय दी कि यह तेज धार वाले हथियार से हुई एक साधारण चोट थी। अपीलार्थी का मेडिको लीगल रिपोर्ट **प्रदर्श-डी/3** है। अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का पक्ष रखा। उसने पक्ष रखा कि जब उसने देखा कि तिजोरी परिसर से बाहर फेंक दी गई है, तो उसने पड़ोसियों यथा संपतलाल शर्मा (अ.सा.-12), टेकेश्वर शर्मा (अ.सा.-13) और हिमकल्याण (अ.सा.-6) को बुलाया, जो विवादित परिसर के पिछले भाग में आए। मृतक और रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) भी वहां आ गए। उनके बीच वाद-विवाद हुआ, इसके बाद वे उस कमरे में गए जहां अपीलार्थी के अनुसार, तिजोरी रखी हुई थी। इसी समय रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) ने उस पर चाकू से हमला किया। उसने चाकू पकड़ लिया, लेकिन मृतक ने उसकी जांघ पर हमला कर दिया। जब मृतक दूसरा हमला करना चाहा, तो उसने मृतक पर उसी चाकू से हमला किया जो उसने रोहिणी प्रसाद से छीना था। अपीलार्थी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मृतक पर एक ही चोट पहुंचायी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के पक्ष को निरस्त कर दिया और रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) और मूलचंद (अ.सा.-5) के बयानों पर विश्वास करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या करने के आशय से उपरोक्त चोट पहुंचाई, इसलिए वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सुरेंद्र सिंह, ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में मृतक को एक ही चोट पहुंचाई, इसलिए वह

दोषमुक्त होने का हकदार है। उन्होंने **देव नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [एआईआर 1973 एससी 473]** और **रघबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, [एआईआर 2009 एससी 1223]** के निर्णयों का हवाला दिया।

(4) **रघबीर सिंह (पूर्वोक्त)** में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी विशेष परिस्थितियों में, क्या एक व्यक्ति ने वैध रूप से निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया? यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका निर्धारण**लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य, [एआईआर 1976 एससी 2263]** प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस तरह के प्रश्न के निर्धारण के लिए कोई अमूर्त परीक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस तथ्यात्मक प्रश्न के निर्धारण में, न्यायालय को सभी आसपास की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। अभियुक्त के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह शब्दश: यह दावा करे कि उसने आत्मरक्षा में कार्य किया। यदि परिस्थितियां दर्शाती हैं कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार वैध रूप से प्रयोग किया गया था, तो न्यायालय के लिए ऐसे पक्ष पर विचार करना आवश्यक है। किसी दिए गए मामले में न्यायालय इस पर विचार कर सकता है, भले ही अभियुक्त ने यह दावा नहीं किया हो, यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से इस पर विचार किया जा सकता है। प्रमाणित करने का भार उस अभियुक्त पर है, जो आत्मरक्षा का पक्ष रखता है, और प्रमाण के अभाव में, न्यायालय के लिए आत्मरक्षा के पक्ष की सच्चाई मान लेना संभव नहीं है। न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति मानेगा। यह अभियुक्त पर है कि वह या तो स्वयं सकारात्मक प्रमाण पेश करके या अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों से आवश्यक तथ्य प्राप्त करके आवश्यक सामग्री अभिलेख पर रखे। आत्मरक्षा के पक्ष को स्थापित करने का भार अभियुक्त पर है और यह भार अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उस अभियोजन के, पक्ष में संभावनाओं की प्रबलता दिखाकर पूरा हो जाता है। **उच्चतम न्यायालय ने मुंशी राम और अन्य बनाम दिल्ली**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रशासन, [एआईआर 1968 एससी 702], गुजरात राज्य बनाम बाई फातिमा, [एआईआर 1975 एससी 1478], उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद मुशीर खान, [एआईआर 1977 एससी 2226] और **मोहिंदर पाल जौली बनाम पंजाब राज्य, [एआईआर 1979 एससी 577]** के निर्णयों का अवलंब लिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि चोटों की संख्या हमेशा यह तय करने के लिए एक सुरक्षित मानदंड नहीं है कि आक्रामक कौन था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि घटना के समय या विवाद के दौरान अभियुक्त द्वारा प्राप्त चोटों का कारण ना बता पाना एक बहुत महत्वपूर्ण गंभीर परिस्थिति है। लेकिन केवल अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का कारण ना बता पाना सभी मामलों में अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत उन मामलों पर लागू होता है जहां अभियुक्त द्वारा प्राप्त चोटें मामूली और सामान्य हैं या जहां प्रमाण इतने स्पष्ट और सम्मोहक, स्वतंत्र और निर्लिप्त और इतने संभाव्य, सुसंगत और विश्वसनीय हैं कि यह अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों की व्याख्या न करने के प्रभाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। **लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य, [एआईआर 1976 एससी 2263]** का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) **देव नारायण (पूर्वोक्त)** में, यह अभिनिर्धारित किया' गया कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इसे प्रयोग करने वाले पक्ष ने आक्रमणकर्ता के हाथों वास्तव में कुछ चोट प्राप्त की हो। यह एक निवारक अधिकार है न कि दंडात्मक अधिकार।

(6) वर्तमान मामले में, हालांकि अपीलार्थी ने आत्मरक्षा का पक्ष रखा, लेकिन न तो किसी गवाह को बचाव पक्ष में पेश किया गया और न ही अपीलार्थी ने स्वयं आत्मरक्षा के पक्ष को स्थापित करने के लिए एक बचाव गवाह के रूप में परीक्षित किया। अब हम यह परीक्षण

करेंगे कि क्या अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से रखा गया उपरोक्त पक्ष, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्वयं स्थापित हो गया और अपीलार्थी ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियोजन के, पक्ष में संभावनाओं की प्रबलता दिखाकर सबूत का भार पूरा कर दिया है। रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) ने स्पष्ट शब्दों में अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने सबसे पहले मृतक को चाकू से मारा और उसके बाद वह उसे मारने के लिए दौड़ा और इस प्रक्रिया में, उसे चाकू की नोक से अपने अंडकोष पर चोट लगी। प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने सुझाव का स्पष्ट रूप से खंडन किया कि वह अपीलार्थी पर चाकू से हमला करना चाहता था जिसे अपीलार्थी ने छीन लिया और इस बीच उसके भाई (मृतक) ने अपीलार्थी पर चाकू से हमला किया जो अपीलार्थी की जांघ पर लगा। अपीलार्थी ने पूर्ण रूप से यह इनकार किया कि उसके बाद जब उसके भाई ने दूसरा हमला करना चाहा, तो अपीलार्थी ने उसके भाई को चाकू से हमला किया। श्री सिंह ने तर्क दिया है कि रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक के पेट में चाकू घुसाने के बाद अपीलार्थी ने चाकू को घुमाया, जबकि, यह हिस्सा प्रथम सूचना प्रतिवेदन **प्रदर्श-पी/1** में तथा रोहिणी प्रसाद के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के कथन **प्रदर्श-डी/1** में भी नहीं है, इसलिए, उसकी संपूर्ण साक्ष्य को अमान्य किया जाना चाहिए क्योंकि उसने कहानी को बेहतर बनाने की कोशिश की है। हम उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हमारा विचार है कि यह विसंगति अकेले रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) की संपूर्ण साक्ष्य को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनकी संपूर्ण साक्ष्य का अध्ययन करने के बाद, हमें उसमें ऐसी कोई विसंगति नहीं मिलती है कि उसे अमान्य कर दिया जाए और उसे पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह माना जाए। हम पाते हैं कि रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) के अभिसाक्ष्य की पुष्टि मूलचंद (अ.सा.-5) के साक्ष्य से की गई है। मूलचंद (अ.सा.-5) ने अभिसाक्ष्य दिया कि कुछ वाद-विवाद के बाद, अपीलार्थी ने चाकू निकाला और मृतक के पेट पर चाकू से हमला किया। इसके बाद अपीलार्थी रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) की ओर दौड़ा, लेकिन उसे संपतलाल शर्मा (अ.सा.-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) ने पकड़ लिया और इस प्रक्रिया में रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) को चोट लगी। इन गवाहों का बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है, लेकिन बचाव पक्ष ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न करने में सफल नहीं रहा है जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी को अमान्य किया जा सके। अर्थात इन गवाहों की प्रतिपरीक्षण से भी अपीलार्थी द्वारा आत्मरक्षा का पक्ष स्थापित नहीं किया गया था। श्री सिंह ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी द्वारा प्राप्त चोटों की इन गवाहों द्वारा बिल्कुल भी व्याख्या नहीं की गई, इसलिए, एक ओर, गवाह अविश्वसनीय हैं और दूसरी ओर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कहानी प्रशंसनीय हो जाती है। उप-निरीक्षक, बिरेंद्र शर्मा (अ.सा.-17) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह यह सब जानने के बाद घटना स्थल की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसकी मुलाकात अपीलार्थी से हुई और उसने अपीलार्थी को उसकी सुरक्षा के लिए थाना ले गया। रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) ने कहा है कि जब उसने थाना में अपीलार्थी को देखा, तो वह फुल-पैंट पहने हुए था| अपीलार्थी की चोट उसकी जांघ के पिछले हिस्से पर एक साधारण चोट थी, इसलिए, यह एक सतही चोट थी और यह गवाहों द्वारा देखी नहीं गई हो सकती है क्योंकि अपीलार्थी निस्संदेह एक फुल-पैंट पहने हुए था और इस प्रकार केवल अपीलार्थी की एक चोट का कारण ना बता पाना, उपरोक्त परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) धारा 100 भारतीय दंड संहिता यह प्रावधान करती है कि धारा 99 में उल्लेखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, शरीर के निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, आक्रमणकारी के प्राण लेने या कोई अन्य हानि स्वेच्छापूर्वक कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण इस अधिकार का प्रयोग हुआ है, इस धारा में वर्णित किसी भी प्रकार का हो। उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि स्वेच्छापूर्वक प्राण लेने या कोई अन्य हानि पहुँचाने का अधिकार आक्रमणकारी के विरुद्ध उपलब्ध है न कि किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध।

प्रस्तुत मामले में, अभियुक्त के अनुसार, मृतक ही अभियुक्त का आक्रमणकारी था जिसने सर्वप्रथम अभियुक्त को चाकू से हमला कर उसकी जाँघ पर चोट पहुँचाई, और जब वह दूसरा हमला करना चाहा, तब अभियुक्त ने अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उस पर हमला किया। अभियुक्त का यह तर्क **प्रदर्श- डी/3-अ** की सामग्री के आधार पर झूठा सिद्ध होता है। **प्रदर्श- डी/3-अ** पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त के चिकित्सीय परीक्षण हेतु संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को जारी किया गया अनुरोध पत्र है। इस दस्तावेज़ में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त पर रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) ने उसकी दायीं जाँघ पर चाकू से हमला किया था, अतः उसका परीक्षण किया जाए। चिकित्सीय परीक्षण के अनुरोध में दी गई सूचना आम तौर पर उन तथ्यों पर आधारित होती है जो पीड़ित (यदि वह बताने की स्थिति में हो) द्वारा अनुरोध पत्र बनाने वाले पुलिस अधिकारी को बताए जाते हैं। यदि वास्तव में, अभियुक्त पर मृतक द्वारा चाकू से हमला किया गया होता, जैसा कि उसने अपने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में दावा किया है, तो उपरोक्त कथन को अनुरोध ज्ञापन **प्रदर्श- डी/3-अ** में अंकित नहीं की गई होती। इसके दो निहितार्थ हैं: प्रथम, कि अभियुक्त पर मृतक द्वारा हमला नहीं किया गया और उस पर रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) ने हमला किया तथा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिवाक झूठा है; और दूसरा, कि यदि अभियुक्त को कोई ऐसा अधिकार उपलब्ध भी था तो वह रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) के विरुद्ध उपलब्ध था जिसने वास्तव में उस पर हमला किया, न कि मृतक के विरुद्ध। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हम श्री सिंह के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अभियुक्त ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मृतक पर हमला किया। हमारा विचार है कि सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त के निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अभिवाक को अमान्य करना पूर्णतः उचित था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(8) श्री सुरेंद्र सिंह ने यह भी तर्क दिया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत एक अपराध साबित नहीं होगा और अपीलार्थी लघुत्तर धारा के तहत, अधिमानतः धारा 304 भाग-दो भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न निर्णयों का अवलेख लिया।

(9) **हरत राम बनाम हरियाणा राज्य, [एआईआर 1983 एससी 185]** में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मृतक और दूसरी ओर अपीलार्थी और उसके साथियों के बीच विवाद में, अपीलार्थी ने एक जेलीनुमा (छुरा) पकड़ा और मृतक की छाती में घुसा दिया। इससे पहले कुछ गंभीर विवाद हुई थी। अपीलार्थी ने मृतक पर केवल एक हमला किया था। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह धारा 304 भाग-दो भारतीय दण्ड संहिता का मामला था और पहले से ही दोषसिद्ध किया गया 5 साल के कठोर कारावास का दण्डादेश न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) **जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, [एआईआर 1983 एससी 463]** में, चाकू का इस्तेमाल किया गया और अचानक झगड़े में, छाती पर चाकू से हमला किया गया और छाती पर हमला गहरा होकर छाती के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गया जिसके परिणामस्वरूप हृदय को चोट लगी और यह चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, माना कि यह धारा 304 भाग-दो भारतीय दण्ड संहिता का प्रकरण था और 5 साल की कैद का दण्डादेश न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

(11) **शीतला प्रसाद उर्फ बाबा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [एआईआर 1994 एससी 1643]** में, अपीलार्थी जो भाला लिए हुए था, ने मृतक को उसके पेट में भाला से हमला किया। जिस डॉक्टर ने शव परीक्षण किया, उसने नाभि के ऊपर पेट में एक भेदी घाव पाया और

उसने यह भी पाया कि ओमेंटम घाव से बाहर आ रहा था। अन्य चोट केवल एक ऑपरेशनल थी जो चोट नंबर 1 के बाएं कोण के साथ थी। उन्होंने चोट नंबर 1 के नीचे मेसेंटरी में 2 से.मी. x ½ से.मी. का एक घाव भी पाया जो मेसेंटरी धमनी की एक शाखा को काट रहा था। खेत में पानी मोड़ने को लेकर झगड़ा हुआ और उक्त झगड़े में अभियुक्त ने मृतक को चोटें पहुंचाईं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी विशेष चोट को पहुंचाने का आशय जिसे डॉक्टर ने घातक बताया था, स्थापित नहीं किया गया था और इस प्रकार अपराध धारा 304 भाग-दो भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आएगा। पहले से ही भोगे जा चुकी 7 साल की अभिरक्षा का दण्डादेश उचित मानी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 हत्या की कोटी में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह उन मामलों में लगाए जाने वाले दंड के बीच अंतर करती है, जहां, मारने का आशय मौजूद होने पर, कार्य हत्या के बराबर होता, लेकिन वह धारा 300 के अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत आता है, और उन मामलों में जहां अपराध हत्या की कोटी में नहीं आने वाली आपराधिक मानव वध है, अर्थात्, जहां यह ज्ञान है कि मृत्यु संभावित परिणाम होगी, लेकिन मृत्यु या मृत्यु के कारण होने वाली शारीरिक चोट पहुंचाने का आशय अनुपस्थित है। धारा 304 का पहला भाग उन मामलों पर लागू होता है जहां आशय होता है, जबकि दूसरा भाग उन मामलों पर लागू होता है जहां ज्ञान होता है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 304 के किसी भी भाग के तहत अभियुक्त को दोष सिद्धि से पहले, यह देखना होगा कि उसके द्वारा धारा 300 के पांच अपवादों में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति में मृत्यु हुई हो, जिसमें गंभीर और अचानक प्रकोपन के तहत आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित रहते हुए, व्यक्ति या संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए, और पूर्व विचार के बिना आवेश में अचानक झगड़े में हुई मृत्यु शामिल है। किसी कार्य को करने से जो परिणाम हो सकते हैं उसका ज्ञान उस आशय

से काफी अलग है जो दर्शाता है कि एक विशेष परिणाम सुनिश्चित होना चाहिए। धारा 304 के पूर्व भाग को आकर्षित करने के लिए, आशय एक कारक है जबकि बाद के भाग को आकर्षित करने के लिए, ज्ञान एक कारक है। आशय एक विशेष परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को उद्देश्य के साथ करना है, जबकि, ज्ञान एक जागरूकता है जो यह विश्वास दिलाती है कि कोई कार्य करने से एक विशेष परिणाम हो सकता है।

(13) वर्तमान मामले में मृतक अपीलार्थी का किरायेदार था। वह पिछले 10 वर्षों से किराए के परिसर में रह रहा था। परिसर खाली करने को लेकर विवाद चल रहा था और उनके बीच यह सहमति हुई थी कि परिसर आने वाले वर्ष की पहली जनवरी को खाली कर दिया जाएगा। घटना के दिन, अपीलार्थी इस कारण से परिसर के पिछले हिस्से में गया था कि मृतक और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा तिजोरी को उस हिस्से में विस्थापित कर दिया गया था जहां से वह शुरू में रखी गई थी। हम ध्यान देते हैं कि अपीलार्थी अकेला नहीं गया था, बल्कि वह 3 पंचों (3 अभियोजन पक्ष गवाह) के साथ गया था। अभियोजन पक्ष का मामला है कि सबसे पहले अपीलार्थी और मृतक के बीच परिसर के पिछले हिस्से में कुछ वाद-विवाद हुआ और उसके बाद वे उस कमरे के अंदर गए जहां घटना हुई। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की ओर से कोई तैयारी और पूर्व विचार नहीं था और अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का कोई आशय नहीं था। यदि कोई तैयारी या आशय होता, तो अपीलार्थी अपने साथ पंचों को नहीं ले जाता ताकि उन्हें अपीलार्थी द्वारा की जाने वाली हत्या के प्रत्यक्षदर्शी बनाया जा सके। मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद के बाद, आवेश में, बिना किसी तैयारी या पूर्व विचार के, अपीलार्थी ने मृतक के पेट पर एक ही चोट पहुंचाई जो किडनी पर लगी और घातक साबित हुई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(14) इसलिए यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा मृतक को पहुंचाई गई चोट बिना किसी आशय की थी और यह मृतक की हत्या करने के आशय से नहीं पहुंचाई गई थी। यहां तक कि किडनी पर भी चोट कारित करने का कोई आशय नहीं था और यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का या मृतक की किडनी पर वह विशेष चोट पहुंचाने का आशय था। हमारा विचार है कि उपरोक्त स्थिति में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत कोई अपराध साबित नहीं होगा और अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता के धारा 304 भाग-दो के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

(15) जहां तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के तहत दंड का संबंध है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी ने रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) को चाकू से चोट पहुंचाई थी। रोहिणी प्रसाद के सबूतों से यह प्रदर्शित होता है कि जब अपीलार्थी ने उसे मारने के लिए पीछा किया, तो उसे चाकू की नोक से अपने अंडकोष पर चोट लगी। मूलचंद (अ.सा.-5) ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब अपीलार्थी ने रोहिणी प्रसाद (अ.सा.-1) का पीछा करने की कोशिश की, तो उसे संपतलाल शर्मा (अ.सा.-12) ने पकड़ लिया और उस प्रक्रिया में, रोहिणी प्रसाद को साधारण चोट लगी। मूल्यांकन पर, हम पाते हैं कि यह साबित नहीं हुआ कि अपीलार्थी ने, वास्तव में, रोहिणी प्रसाद को चोट पहुंचाई। इसलिए, अपीलार्थी की धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डादेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(16) उपरोक्त कारणों से, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 324 के तहत दोष सिद्धि दिए जाने और दी गई दण्डादेशो को अपास्त करते हैं। इसके बजाय, हम अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता के धारा 304 भाग-दो के तहत दोष सिद्धि ठहराते हैं और उसे 7 साल के कठोर कारावास

का दण्डादेश देते है। अपीलार्थी उस अवधि के समायोजन का हकदार होगा जो उसने पहले ही भुगत ली है।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : ANKIT SHRIVAS

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur